

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
विमुक्त, धूमंतु एवं अर्ध-धूमंतु समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड

पि चमी खंड-8, सैक्टर-1, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110068

दिनांक: 05.05.2022

सेवा में

निवेदक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश, भागीदारी भवन, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय: विमुक्त जनजातियों के उत्थान के लिए मॉग-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर डॉ.रामानंद राजभर, उपाध्यक्ष, विमुक्त एवं धूमंतु जनजाति परिषद के दिनांक 16.02.2022 के पत्र सं.डीएनटी/013/22 का संदर्भ लें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें उन्होंने विमुक्त जनजातियों के छात्रों के उत्थान के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित मॉग की हैं:-

1. - विमुक्त जनजातियों जहाँ वह निवास करती हैं उनको बगैर क्षेत्रीय प्रतिबंध के विमुक्त ज प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँ।
2. - राज्य सरकार द्वारा संधालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में विमुक्त जनजाति के छात्रों को कक्षा 1 से 12वीं कक्षा में दाखिला दिलाया जाए।
3. - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों तर्ज पर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा इत्यादि के लिए विमुक्त जाति के लिए भी फ्री-कोचिंग को प्रोविसन रखा जाए।

2. आपसे अनुरोध है कि डॉ. रामानंद राजभर की उपरोक्त मॉगों पर विचार करके उन पर अमल करवाए एवं वस्तुस्थिति से सीधे उन्हें एवं अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करवाए।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

(राजेश कुमार सिन्हा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. - डॉ. रामानंद राजभर, उपाध्यक्ष, विमुक्त एवं धूमंतु जनजाति परिषद, ईमेल:-
dr.ramanandrajbar@gmail.com
2. - अवर सचिव बीसी-3, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विज्ञान भवन
ईमेल-daya.nk@nic.in

Signed by Rajesh Kumar
Sinha
Date: 05-05-2022 11:30:21
Reason: Approved

